**भारत सरकार**

**वित्त मंत्रालय**

**वित्तीय सेवाएं विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2776**

**(जिसका उत्तर 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया जाना है)**

**पी॰एस॰बी॰ इत्यादि के बोर्डों में अशासकीय सदस्यों के रूप में**

**गैर-अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति**

**2776. श्री सी॰ एम॰ रमेशः**

**क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार के सामने किन्हीं ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण आया है जिन्हें कार्य के अनुभव एवं विभिन्न अन्य श्रेणियों की कमी के बावजूद सरकारी बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय कंपनियों के बोर्डों में अशासकीय सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जा रहा है; और**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)**

**(क) और (ख): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं के गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति उचित नियमों और सरकार के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत की जाती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन निकायों में गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नियुक्ति कमिटी की सिफारिशों के आधार पर मान्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए की गयी है।**

**\*\*\*\*\***